प्रेस विज्ञप्ति

19-12-2025

प्रवर्तन निदेशालय ने मेसर्स किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड के कर्मचारियों के बकाया 311.67 करोड़ रुपये की वसूली में सहायता की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने मेसर्स किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड (केएएल) के कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित बकाया 311.67 करोड़ रुपये की वसूली में सहायता की है, जो धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अपराध की आय की पीड़ित-केंद्रित बहाली के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण-I, चेन्नई के वसूली अधिकारी द्वारा दिनांक 12.12.2025 को पारित आदेश के अनुसार यह प्रतिपूर्ति सक्षम की गई है, जिसमें अधिग्रहीत शेयरों की बिक्री से प्राप्त धनराशि को जारी करने का निर्देश दिया गया है, जिसे पहले ईडी द्वारा पीएमएलए के तहत भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को वापस कर दिया गया था। यह राशि किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व कर्मचारियों को वितरित करने के लिए आधिकारिक परिसमापक को हस्तांतरित की जानी है।

ईडी ने सीबीआई द्वारा केएएल, विजय माल्या और संबंधित संस्थाओं के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के लिए दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जो पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध हैं। जांच में ऋण निधि के बड़े पैमाने पर गबन और हेराफेरी का खुलासा हुआ, जिसके परिणामस्वरूप केएएल, विजय माल्या, यूनाइटेड ब्रुअरीज होल्डिंग्स लिमिटेड और संबंधित संस्थाओं की चल और अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। विजय माल्या को 05.01.2019 को भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम 2018 के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि ईडी ने पीएमएलए की धारा 8(8) के तहत एसबीआई को 14,132 करोड़ रुपये की संपत्ति/परिसंपत्ति वापस कर दी है, जिससे संपत्ति का वह पूल तैयार हुआ है जिससे वर्तमान वापसी की सुविधा प्रदान की गई है।

अपने दायित्व का पालन करते हुए, ईडी ने सभी हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय स्थापित किया ताकि श्रमिकों के लंबे समय से लंबित बकाया का निपटारा सुनिश्चित किया जा सके। ईडी ने एसबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया और कर्मचारी दावों के भुगतान के लिए पीएमएलए के तहत पुनर्स्थापित संपत्तियों के उपयोग की सुविधा प्रदान की। ईडी की इस पहल पर कार्रवाई करते हुए, एसबीआई ने अंतरिम आवेदन संख्या 01/2025 दाखिल करके डीआरटी से संपर्क किया, जिसमें श्रमिकों के बकाया के भुगतान के लिए पुनर्स्थापित संपत्तियों की

पेशकश की गई और सुरक्षित लेनदारों के दावों पर ऐसे बकाया को प्राथमिकता देने के लिए स्पष्ट सहमति दी गई।

इसके परिणामस्वरूप, डीआरटी ने आधिकारिक परिसमापक को किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व कर्मचारियों को 311.67 करोड़ रुपये की राशि के कामगार बकाया के वितरण का निर्देश दिया।

यह मुआवजा आर्थिक अपराधियों को अपराध से प्राप्त धन से वंचित करने और प्रभावित कर्मचारियों सहित ऐसे धन को उनके उचित हितधारकों को वापस दिलाने के लिए ईडी की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।